



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2010/कार्तिक 21, 1932

No. 628]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2010/KARTIKA 21, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 910(अ).—केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि रोजिग्लिटेजोन युक्त औषध फार्मूलेशनों के इस्तेमाल से मानव के लिए कुछ जोखिम शामिल होने की संभावना है;

और औषध के अधिक सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

और केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में इस औषध के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित करना आवश्यक और उचित है।

इसलिए अब औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित औषध के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करती है, अर्थात् :-

“मानव इस्तेमाल के लिए रोजिग्लिटेजोन और इसके फार्मूलेशन”

[फा. सं. X 11014/5/2010-डीएफव्यूसी]

डॉ. ए. के. पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2010

G.S.R. 910(E).—Whereas the Central Government is satisfied that use of drug formulations containing Rosiglitazone are likely to involve certain risk to human beings;

And whereas safer alternatives to the drug are available;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale and distribution of this drug in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 26-A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture, sale and distribution of the following drug, with immediate effect, namely:—

“Rosiglitazone and its formulations for human use”.

[F.No. X 11014/5/2010-DFQC]

Dr. A. K. PANDA, Jt. Secy.